**दिनांक 09.05.2024** वाद पुकारा गया। प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा दिनांक 01.02.2024 को न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 व दफा 114 , 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रापक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2022 को दाखिल किया गया जिस पर सुनवाई के बाद खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर जमीन को छोड़कर अन्य पर प्रापक नियुक्त का आदेश दिनांक 04.01.2024 को पारित हुआ यह कि आदेश का पक्का नकल लेने के बाद यह जानकारी मिली की श्रीमान् के द्वारा स्वत्व वाद सं 520/08 में खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर पर सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसके चलते उक्त संपत्ति को छोड़कर शेष संपत्ति पर प्रापक नियुक्ति का आदेश पारित किया गया । यह कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने असलियत को छुपाकर खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर के बारे में गलत बयान पेश किया । असलियत यह कि विभाजन वाद सं 411/08 दिनांक 03.09.2008 को दाखिल हुआ और उसके करीब 74–75 दिन के बाद दिनांक 15.11.2008 को स्वत्व वाद सं 520/08 साजिशी तौर पर विभाजन वाद सं 411/08 में प्रतिवादी को नोटिस निर्गत होने के

बाद दाखिल किया गया है । यह कि वादी को उसमें पक्षकार नहीं बनाया गया न ही राम नरेश यति के अन्य वारिसान को भी पक्षकार बनाया गया । यह कि सिफ श्वेताम्बर यति और अन्य के विरुद्ध जल्दी जल्दी में एकतरफा डिक्री हासिल कर लिया गया । इस मुकदमा में खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 की जमीन विषय वस्तु था जिसका अंश शिव कुमार यति ने अपनी कथित दूसरी पत्नी रीना देवी को साजिशन 40 साल के लिए 25.09.2012 को लीज कर दिया जो विभाजन वाद सं 411/08 के लंबित रहने के दौरान हुआ। यह कि प्रधान न्यायाधीश मोतिहारी ने पहले ही अपने आदेश के द्वारा दिनांक 25.06.2008 को कोई भी जमीन बेचने से या स्थानांतरण करने से रोक लगा दिया था बावजूद उसके शिवकुमार यति ने अपनी दूसरी पत्नी को लीज दे दिया । यह कि स्वत्ववाद सं 520/08 में पारित आदेश विभाजन वाद सं 411/08 के लंबित रहने के दौरान हुआ इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है । **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष कुमार बनाम जगत राय व अन्य** के मामले में यह मंतव्य दिया है कि कपट के आधार पर हासिल डिक्री शून्य है । न्यायहित में खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर जमीन पर भी रिसिवर नियुक्त होना जरूरी है। यह कि **माननीय उच्च न्यायालय पटना ने लक्षमण भगत बनाम ब्रजनंदन प्रसाद वाले** मुकदमा में यह व्यवस्था दिया कि न्यायालय द्वारा कोई गलत आदेश पारित होता है तो न्यायालय को अधिकार है कि वह उस आदेश को पुनर्विलोकन कर सकती है । यह कि कानून के आलोक

में स्वत्व वाद सं 520/08 में पारित आदेश शून्य है और जो इस विभाजन वाद से 411/08 की लंबित रहने के दौरान दिया गया है अतः न्यायहित में दिनांक 04.01.2024 के आदेश का पुनर्विलोकन होना आवश्यक है अतः पुनर्विलोकन कर खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर जमीन पर भी प्रापक नियुक्त करने की कृपा प्रदान करें।

प्रतिवादी सं0 2 ने अपने प्रतिउत्तर में कहा कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन चलने योग्य नहीं है और कानूनी के खिलाफ है । यह कि आदेश दिनांक 04.01.2024 सभी पक्षकारों को सुनकर अभिलेख पर मौजूद सभी कागजातों के अध्ययन के बाद पारित किया गया है । उसका कानूनन पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। वादी को इस बात का पुरा अधिकार है कि यदि वह आदेश से प्रभावित है तो उपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। यह कि अगर वादी उपरी अदालत में परिसीमा के अंदर कोई अपील नहीं किया है तो अपील की मियाद खत्म हो चुकी है तो पुनर्विलोकन आदेश लेना संभव नहीं है । यह कि वादी का दफा 3 पुनर्विलोकन आवेदन गलत है क्योंकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने असलियत को नहीं छुपाया है और न कोर्ट को गुमराह किया है । यह कि दफा मजकूर यह भी गलत है कि दिवानी मुकदमा नं 520/08 में किसी तरह से वादी द्वारा कोई साजिश कर बंटवारा मुकदमा 411/2008 में नोटिस निर्गत होने के बाद दाखिल किया है जिसमें रामनरेश यति तथा उनके वारिसानों को फरीक नहीं

बनाया है एवं जल्दबाजी में डिक्री हासिल कर लिया बल्कि सही बात यह है कि बंटवारा मुकदमा 411/2008 की कोई जानकारी पक्षकार दिवानी मुकदमा 520/08 को नहीं थी एवं रामनरेश यति के वारिस में बंटवारा होकर श्वेताम्बर यति का हित अलग हो चुका था । यह कि मुकदमा 520/08 में आवश्यक पक्षकारों के बीच फैसला हुआ । वादी का यह भी कहना गलत है कि वादी शिवकुमार यति ने दूसरी पत्नी रीना देवी को 40 वर्ष के लिए लिज पर खाता 169/219 , खेसरा 2041/2042 दिया है चूंकि पट्टा कोई स्थानांतरण विलेख नहीं होता है इसलिए इससे स्वत्व का स्थानांतरण नहीं होता है । यह कि प्रधान न्यायाधीश, मोतिहारी को स्वत्व के संबंध में आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था इसलिए गैर क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी आदेश की श्रेणी में नहीं आता। वादी का दफा 4 पुनर्विलोकन आवेदन गलत है जिस सर्वोच्च न्यायालय के केस का जिक्र किया गया है वह स्वत्व वाद संख्या 520/08 के आदेश को प्रभावित नहीं करता क्योंकि वह कपट से पारित नहीं किया गया है। यह कि उस मामले में निर्णय पारित हो चुका है और जब तक उपरी अदालत द्वारा उसे निरस्त नहीं किया जाता तब तक वह निर्णय शून्य नहीं होता। यह कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन पूरी तरह से मामले को विलंब करने हेतु दाखिल किया गया है अतः वादी के आवेदन दिनांक 01.02.2024 को खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना, तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों की कंप्यूटर प्रतियों

का अवलोकन किया । प्रस्तुत आवेदन वादीगण द्वारा न्यायालय द्व ारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 जो वादी के आवेदन पर प्रापक नियुक्त करने के संबंध में था, के विरुद्ध दिया गया है। वादी का पुनर्विलोकन आवेदन न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2024 को पारित आदेश के एक अंश पर असहमति के संबंध में है । वादी का कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रापक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2022 को दाखिल किया गया जिस पर सुनवाई के बाद खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर जमीन को छोड़कर अन्य पर प्रापक नियुक्त का आदेश दिनांक 04.01.2024 को पारित हुआ यह कि आदेश का पक्का नकल लेने के बाद यह जानकारी मिली की श्रीमान् के द्वारा स्वत्व वाद सं 520/08 में खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर पर सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसके चलते उक्त संपत्ति को छोड़कर शेष संपत्ति पर प्रापक नियुक्ति का आदेश पारित किया गया । यह कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने असलियत को छुपाकर खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर के बारे में गलत बयान पेश किया । असलियत यह कि विभाजन वाद सं 411/08 दिनांक 03.09.2008 को दाखिल हुआ और उसके करीब 74–75 दिन के बाद दिनांक 15.11.2008 को स्वत्व वाद सं 520/08 साजिशी तौर पर विभाजन वाद सं 411/08 में प्रतिवादी को नोटिस निर्गत होने के बाद दाखिल किया गया है । यह कि वादी को उसमें पक्षकार नहीं बनाया गया न ही

राम नरेश यति के अन्य वारिसान को भी पक्षकार बनाया गया । यह कि सिफ श्वेताम्बर यति और अन्य के विरुद्ध जल्दी जल्दी में एकतरफा डिक्री हासिल कर लिया गया । इस मुकदमा में खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 की जमीन विषय वस्तु था जिसका अंश शिव कुमार यति ने अपनी कथित दूसरी पत्नी रीना देवी को साजिशन 40 साल के लिए 25.09.2012 को लीज कर दिया जो विभाजन वाद सं 411/08 के लंबित रहने के दौरान हुआ। यह कि प्रधान न्यायाधीश मोतिहारी ने पहले ही अपने आदेश के द्वारा दिनांक 25.06.2008 को कोई भी जमीन बेचने से या स्थानांतरण करने से रोक लगा दिया था बावजूद उसके शिवकुमार यति ने अपनी दूसरी पत्नी को लीज दे दिया । यह कि स्वत्ववाद सं 520/08 में पारित आदेश विभाजन वाद सं 411/08 के लंबित रहने के दौरान हुआ इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है । **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष कुमार बनाम जगत राय व अन्य** के मामले में यह मंतव्य दिया है कि कपट के आधार पर हासिल डिक्री शून्य है । न्यायहित में खाता नं 169/219 , खेसरा नं 2041/2042 , रकवा 0–8–16½ धुर जमीन पर भी रिसिवर नियुक्त होना जरूरी है। यह कि **माननीय उच्च न्यायालय पटना ने लक्ष्मण भगत बनाम ब्रजनंदन प्रसाद वाले** मुकदमा में यह व्यवस्था दिया कि न्यायालय द्वारा कोई गलत आदेश पारित होता है तो न्यायालय को अधिकार है कि वह उस आदेश को पुनर्विलोकन कर सकती है । यह कि कानून के आलोक में स्वत्व वाद सं 520/08 में पारित आदेश शून्य है और जो इस

विभाजन वाद से 411/08 की लंबित रहने के दौरान दिया गया है। मामले में उभय पक्षों की बहस के सुनने के बाद न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 का अवलोकन करती है जिसके अनुसार ''**पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति , जो–(क) किसी ऐसे डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गयी है,**

**(ख) किसी ऐवी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा**

**(ग) ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है, अपने को व्यथित मानता है वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।''**

**व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के अनुसार '' जो कोई व्यक्ति –**

**(क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गयी है,**

**(ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा**

**(ग) लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर विनिश्चय से, अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक**

तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब डिक्री पारित की गयी थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरुद्ध पारित डिक्री या किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या व आदेश किया था।

(2) वह पक्षकार जो डिक्री या आदेश की अलील नहीं कर रहा है, निर्ण्य के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इस बात के होते हुए भी कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गयी अपील लंबित है वहां के सिवाय कर सकेगा जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक ओर अपीलार्थी दोनों के बीच सामान्य है या जहां प्रत्यर्थी होते हुए वह अपील न्यायालय में वह मामला उपस्थित कर सकता है जिसके आधार पर वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता है।

व्यवहार प्रकिया संहिता के धारा 151 के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि ''इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की

**आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है।''**

प्रस्तुत मामले में वादीगण के पुनर्विलोकन आवेदन पर न्यायालय यह पाती है कि पहले ही स्वत्व वाद सं 520/08 में खाता नं 169/2019 एवं खे0 सं 2041/2042 रकवा रकवा 0–8–16½ धुर जमीन पर सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में डिक्री पारित की जा चुकी है । मामले में वादी के इस बिंदु पर मूल आदेश जो दिनांक 04.01.2024 को पारित हुआ था उसमें समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखा गया था जहां तक वादी का यह कथन है कि स्वत्व वाद सं 520/08 साजिशी तौर पर विभाजन वाद सं 411/2008 के दाखिल होने के 74–75 दिन बाद 15.11.2008 को दाखिल हुआ था परंतु उसमें वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था । जहां तक इस बिंदु का सवाल है यह बिंदु स्वत्व वाद सं0 520/08 के लंबित रहने के दौरान वादी द्वारा उठाया जाना चाहिए था और यदि वादी को स्वत्व वाद सं 520/08 में पारित डिक्री के बारे में जब जानकारी हुई तब उसे अपास्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए था चूंकि स्वत्व वाद सं 520/08 में पारित निर्णय एक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय है अतः उसे वर्तमान आदेश में शून्य नहीं घोषित किया जा सकता है। चूंकि डिक्री पहले से ही अस्तित्व में हैं अतः न्यायालय उस बिंदु पर प्रापक नियुक्त न करने के दिनांक 04.01.2024 के आदेश में परिवर्तन करना उचित नहीं समझती है अतः प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पर्याप्त तथ्यों के अभाव में **अस्वीकृत** किया जाता है। एतद

द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 09.05.2024 लेखापित व संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।